न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.

अनवान :-

सरकार वनाम हरी सिंह वगैरा

(प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व (लैण्ड रेवेन्यू) अधिनियम 1956)

प्रकरण संख्या :- 14/2019 निर्णय दिनांक :-05/07/2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :-

यह है कि चक 3 एस.ए.डी. के अपवादित खाता संख्या 12 के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से विस्तृत रिपोर्ट चाही गयी। मुताबिक पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं गिरदावर हल्का की अनुशंषा के अनुसार उक्त खाता का कुल रकबा वर्तमान जमाबन्दी में 20.949 हैक्टेयर है जबकि काश्तकारों के हिस्से अनुसार रकबा 20.949 हैक्टेयर तथा काश्तकारों के हिस्से अनुसार हिस्सों का योग भी 20.999 हैक्टेयर होना चाहिए। उक्त खाते का रकवा व सहकाश्तकारों का हिस्सा जमाबन्दी 2048 से 2051 अनुसार अंकन सही था। संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट के बिन्दू संख्या 2 ता 4 के अनुसार सम्वत् 2051 के बाद नामान्तकरणकरणों के गलत हिस्साकस्सी कर अमलदरामद सही नहीं करने से वर्तमान में सहकाश्तकारों के हिस्सों का गलत अंकन है। संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट के बिन्दू संख्या 5 अनुसार मु.नं. 13 के किला नं. 23/3 का रकबा 0.102 हैक्टेयर के बजाय 0.152 हैक्टेयर किया जाना उचित है क्योंकि जमावन्दी 2048-2051 में उक्त किला का रकबा 12 बिस्वा अर्थात् 0.152 हैक्टेयर ही था जो कि बाद की जमाबन्दीयों में सहवन से 0.102 हैक्टेयर दर्ज हो गया था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का उक्त खाते में सहकाश्तकारों हरिसिंह वगैरह व शिवप्रकाश के रकबा पर स्थगन है। माननीय सिविल न्यायालय श्रीविजयनगर में खाते में सहकाश्तकार गुलजार सिंह द्वारा दायर वाद वर्तमान में जेरकार है। डी.आई.एल.आर.एम. के तहत वर्तमान में तहसील की जमाबन्दी सैग्रीगेशन का कार्य अन्तिम चरण में है तथा तहसील ऑनलाईन होनी है, जिस हेतु उक्त अपवादित खाते का दुरूस्त किया जाना अतिआवश्यक है।

अतः निम्न प्रकार से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-136 के तहत दुरूस्त करने की अनुशंषा की जाती है।

सहकाश्तकारों के हिस्से "हरिसिंह बलवीर सिंह कौर सिंह पि. अतर सिंह 1.499 हैक्टेयर, सुभाषचन्द्र पुत्र मामराज 0.488 हैक्टेयर, इन्द्र कुमार पुत्र राजाराम 1.012 हैक्टेयर, वीरपाल कौर पुत्री हरदेव सिंह पत्नी भूपेन्द्र सिंह 0.417 हैक्टेयर काला सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह 0.417 हैक्टेयर, परमजीत कौर पत्नी काला सिंह 0.416 हैक्टेयर, खेमपाल पुत्र प्रीतम सिंह 1.250 हैक्टेयर, गुरमेल सिंह पुत्र बलवन्त सिंह 2.500 हैक्टेयर, चन्द्र सिंह बन्ता सिंह रूप सिंह पि. जंग सिंह 2.250 हैक्टेयर, गुरदेव सिंह नैब सिंह पि. दलीप सिंह 2.250 हैक्टेयर, शिवप्रकाश पुत्र राजेन्द्र कुमार 3.000 हैक्टेयर, रामरत्न पुत्र रामकरण 2.087 हैक्टेयर, गुरबक्श सिंह पुत्र बचन सिंह निहाल कौर उर्फ छिन्द्र कौर पत्नी गुरदेव सिंह 0.413 हैक्टेयर रिछपाल पुत्र ठाकर राम 1.500 हैक्टेयर गुरमुख सिंह पुत्र सौदागर सिंह 1.500 हैक्टेयर।"

लगातार-2

Scanned by CamScanner

मु.नं. 13 के किला नं. 23/3 का रकबा 0.102 है. की बजाय 0.152 हैक्टेयर।

खातों में रहन की स्थिति काला सिंह का हिस्सा 1.162 हैक्टेयर की बजाय रहन 0.417 हैक्टेयर व सुभाष का हिस्सा 1/14 हिस्सा की बजाय 0.488 हैक्टेयर रहन तथा परमजीत कौर 1.164 हैक्टेयर की बजाय 0.416 हैक्टेयर रहन व वीरपाल कौर का 1.163 हैक्टैयर की बजाय 0.417 हैक्टेयर रहन सम्बन्धित बैंकों के पक्ष में है।

उपरोक्तानुसार दुरूस्ति की अनुशंषा के साथ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का उक्त खाते में सहकाश्तकारों हरिसिंह वगैरह व शिवप्रकाश के रकबा पर स्थगन का उपरोक्तानुसार दुरूस्ति करने पर उनके हिस्से पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा उपखण्ड न्यायालय श्रीविजयनगर तथा माननीय सिविल न्यायालय श्रीविजयनगर में खाते में सहकाश्तकार गुलजार सिंह द्वारा दायर वाद में जो अनुतोष वादीगणों द्वारा चाहा गया है उक्त शुद्धि होने से उनको चाहा गया अनुतोष स्वतः ही प्राप्त हो जायेगा। उक्तानुसार रकबा दुरस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना प्रस्तावित है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस उपरान्त पक्षकारान में श्री सुभाषचन्द्र पुत्र श्री मामराज साकिन 3 एस.ए.डी. तहसील श्रीविजयनगर स्वयं उपस्थित हुए। किसी प्रकार का कोई एतराज व्यक्त नहीं किया गया। शेष पक्षकारान मौका पर आबाद नहीं होने के कारण उनके वर्तमान निवास स्थान के सम्बन्धित स्थानीय एवं राज्य के समाचार-पत्रों में नोटिस प्रकाशित करवाया गया। उसके उपरान्त भी कोई पक्षकारान न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय द्वारा पक्षकारानों को अपना पक्ष रखने व सुनवाई हेतु पूर्ण अवसर दिया गया। पत्रावली में उपस्थित दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने व रिपोर्ट पटवारी मनन करने पर पाया कि सहकाश्तकरों के हिस्से "हरिसिंह बलवीर सिंह कौर सिंह पि. अतर सिंह 1.499 हैक्टेयर, सुभाषचन्द्र पुत्र मामराज 0.488 हैक्टेयर, इन्द्र कुमार पुत्र राजाराम 1.012 हैक्टेयर, वीरपाल कौर पुत्री हरदेव सिंह पत्नी भूपेन्द्र सिंह 0.417 हैक्टेयर काला सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह 0.417 हैक्टेयर, परमजीत कौर पत्नी काला सिंह 0.416 हैक्टेयर, खेमपाल पुत्र प्रीतम सिंह 1.250 हैक्टेयर, गुरमेल सिंह पुत्र बलवन्त सिंह 2.500 हैक्टेयर, चन्द्र सिंह बन्ता सिंह रूप सिंह पि. जंग सिंह 2.250 हैक्टेयर, गुरदेव सिंह नैब सिंह पि. दलीप सिंह 2.250 हैक्टेयर, शिवप्रकाश पुत्र राजेन्द्र कुमार 3.000 हैक्टेयर, रामरत्न पुत्र रामकरण 2.087 हैक्टेयर, गुरबक्श सिंह पुत्र बचन सिंह निहाल कौर उर्फ छिन्द्र कौर पत्नी गुरदेव सिंह 0.413 हैक्टेयर रिछपाल पुत्र ठाकर राम 1.500 हैक्टेयर गुरमुख सिंह पुत्र सौदागर सिंह 1.500 हैक्टेयर।" मु.नं. 13 के किला नं. 23/3 का रकबा 0.102 है. की बजाय 0.152 हैक्टेयर। खातों में रहन की स्थिति काला सिंह का हिस्सा 1.162 हैक्टेयर की बजाय रहन 0.417 हैक्टेयर व सुभाष का हिस्सा 1/14 हिस्सा की बजाय 0.488 हैक्टेयर रहन तथा परमजीत कौर 1.164 हैक्टेयर की बजाय 0.416 हैक्टेयर रहन व वीरपाल कौर का 1.163 हैक्टेयर की बजाय 0.417 हैक्टेयर की दुरूस्ति की जानी न्यायोचित है।

अतः तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा प्रेषित प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाकर सहकाश्तकरों के हिस्से "हरिसिंह बलवीर सिंह कौर सिंह पि. अतर सिंह 1.499 हैक्टेयर, सुभाषचन्द्र पुत्र मामराज 0.488 हैक्टेयर, इन्द्र कुमार पुत्र राजाराम 1.012 हैक्टेयर, वीरपाल कौर पुत्री हरदेव सिंह पत्नी भूपेन्द्र सिंह 0.417 हैक्टेयर काला सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह 0.417 हैक्टेयर, परमजीत कौर पत्नी काला सिंह 0.416 हैक्टेयर, खेमपाल पुत्र प्रीतम सिंह 1.250 हैक्टेयर, गुरमेल सिंह पुत्र बलवन्त सिंह 2.500 हैक्टेयर, चन्द्र सिंह बन्ता सिंह रूप सिंह पि. जंग सिंह 2.250 हैक्टेयर, गुरदेव सिंह नैब सिंह पि. दलीप सिंह 2.250 हैक्टेयर, शिवप्रकाश पुत्र राजेन्द्र कुमार 3.000 हैक्टेयर, रामरत्न पुत्र रामकरण 2.087 हैक्टेयर, गुरबक्श सिंह पुत्र बचन सिंह निहाल कौर उर्फ छिन्द्र कौर पत्नी गुरदेव सिंह 0.413

लगातार-3

Scanned by CamScanner

(3)

हैक्टेयर रिछपाल पुत्र ठाकर राम 1.500 हैक्टेयर गुरमुख सिंह पुत्र सौदागर सिंह 1.500 हैक्टेयर।" मु.नं. 13 के किला नं. 23/3 का रकबा 0.102 है. की बजाय 0.152 हैक्टेयर। खातों में रहन की स्थिति काला सिंह का हिस्सा 1.162 हैक्टेयर की बजाय रहन 0.417 हैक्टेयर व सुभाष का हिस्सा 1/14 हिस्सा की बजाय 0.488 हैक्टेयर रहन तथा परमजीत कौर 1.164 हैक्टेयर की बजाय 0.416 हैक्टेयर रहन व वीरपाल कौर का 1.163 हैक्टेयर की बजाय 0.417 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड करने के दुरूस्ती आदेश दिये जाते है।

यह दुरूस्ती आदेश माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एवं सिविल न्यायालय, श्रीविजयनगर के स्थगन के आदेश के अधीन की जाती है। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एवं माननीय सिविल न्यायालय, श्रीविजयनगर के निर्णय के आदेशाधीन रहेंगे। तहसील राजस्व श्रीविजयनगर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 05/07/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका तलानिया)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर